Gram : University

Ph. 2570301
Fax : 2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

पत्रांकः सी.एस.जे.एम.वि.वि./आर.कैम्प./1063/2015

दिनांकः 23/11/2015

सूचना

कु०/श्रीमती/श्री ....
....
....

विषयः दिनांकः 01 दिसम्बर, 2015, को सम्पन्न होने वाले 30वें दीक्षान्त समारोह के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय का वर्ष-2015 का 30वां दीक्षान्त समारोह दिनांकः 01 दिसम्बर, 2015 दिन मंगलवार को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें आपको उत्तीर्ण परीक्षा-2015 की उपाधि प्रदान की जायेगी ।

दीक्षान्त समारोह में सम्मिलित होकर उपाधि प्राप्त करने का कार्यक्रम निम्नवत् हैः-

1. **दीक्षान्त समारोह के दिन प्रातः 08:00 बजे से 10:00 बजे तक अपने सम्बन्धित शैक्षिक विभाग से सम्बन्धित अभ्यर्थी को ही उपाधि प्रदान की जायेगी । उपाधि प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को स्वयं (उपाधि हेतु अनुज्ञा-पत्र के साथ) उपस्थित होना आवश्यक है ।**
2. **उपाधि-पत्र प्राप्त करने हेतु संलग्न अनुज्ञा-पत्र निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी को अपनी प्रमाणिकता हेतु अपने हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/जिला विद्यालय निरीक्षक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा इस विश्वविधालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या से प्रमाणित कराना आवश्यक होगा। हस्ताक्षर प्रमाणित न होने पर उपाधि प्रदान किया जाना सम्भव न होगा ।**
3. **दीक्षान्त समारोह में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 28 नवम्बर, 2015 से 30 नवम्बर, 2015 तक कार्यालय अवधि में निर्धारित शुल्क रु0 200/- उत्तरीय प्रतिभूति राशि के रूप में विश्वविद्यालय के लेखा काउण्टर पर जमा करके सम्बन्धित शैक्षिक विभाग से उत्तरीय एवं आवश्यक प्रपत्र प्राप्त करना होगा।**
4. **दीक्षान्त समारोह के पश्चात् अगले दिन से दो सप्ताह के अन्दर (शुल्क प्राप्ति रसीद के साथ) उत्तरीय वापस करके शेष धनराशि रु0 150/- लेखा विभाग से प्राप्त कर लेना होगा । उत्तरीय वापस न करने पर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि (रु0 200/-) जब्त कर ली जायेगी । एक उत्तरीय का प्रयोग शुल्क रु0 50/- होगा।**
5. **दीक्षान्त समारोह में स्वयं उपाधि धारक को ही उपाधि प्राप्त करने हेतु उपस्थित होना होगा। अन्य किसी को उपाधि प्रदान नहीं की जायेगी ।**
6. **दीक्षान्त समाहरोह में सम्मिलित होने की अपनी सहमति से अधोहस्ताक्षरी को विलम्बतम दिनांक 30.11.2015 तक अवगत करा दें । अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आप दीक्षान्त समारोह में सम्मिलित नही हो रहें है ।**

संलग्नकः- अनुज्ञा-पत्र ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।
2. सम्मानित समाचार पत्रों के सम्पादकों को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त सूचना को छात्रहित में अपने समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
3. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।
4. सम्बन्धित विभाग के निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर ।
5. समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव ।
6. उपकुलसचिव (लेखा) को इस आशय से प्रेषित कि उत्तरीश शुल्क जमा कराने हेतु अलग से काउन्टर की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
7. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी ।
8. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव ।
9. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक ।
10. प्रभारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ।
11. कार्यालय अधीक्षक (प्रशा. एवं उपाधि) ।

(उमानाथ)
उपकुलसचिव (प्रशा0)

(उपाधि प्राप्तकर्ताओं के लिए निर्देश)

1. इस प्रपत्र पर विश्वविद्यालय कार्यालय की मोहर लगवाना अनिवार्य है जिससे ज्ञात हो सके कि अभ्यर्थी ने दीक्षान्त-समारोह में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक परिधान (उत्तरीय) प्राप्त कर लिया है ।

2. दीक्षान्त-समारोह में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके उपाधि पत्र वितरित करने वाले अधिकारी को दे दें तभी उन्हें उपाधि पत्र दिये जा सकेंगे । अभ्यर्थियों को चाहिये कि इस प्रपत्र पर पहले से ही अपने हस्ताक्षर कर लें जिससे कि उपाधि-पत्र प्राप्त करने में समय नष्ट न हो ।

3. जो उपाधि प्राप्तकर्ता व्यक्तिगत रूप से दीक्षान्त-समारोह में सम्मिलित होने में असमर्थ है उन्हें रु0 800/- (रुपये आठ सौ मात्र) उपाधि शुल्क के रूप में जमा करने और निर्धारित आवेदन-पत्र देने पर कुलसचिव द्वारा उपाधि पत्र प्रदान किये जायेंगे ।

4. उपाधि प्राप्तकर्ता को उपाधि-पत्र प्राप्ति हेतु पृष्ठांकित निर्धारित स्थान पर निम्नांकित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा मोहर सहित अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराना अनिवार्य है ।

5. (क) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अथवा
(ख) सम्बन्धित संकायाध्यक्ष अथवा
(ग) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा
(घ) सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा
(ड) उ0प्र0 के प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश अथवा
(च) सम्बन्धित पर्यवेक्षक (गाइड)

6. दीक्षान्त-समारोह में सम्मिलित होने वाले प्रत्याशियों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी उपाधि-पत्र नहीं दिये जायेंगे ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

दीक्षान्त-समारोह

(उत्तरीय के लिए अनुज्ञा-पत्र)

कृपया एक उत्तरीय निर्धारित शुल्क भुगतान पर प्रदान करें ।

उत्तरीय प्राप्तकर्ता का नामः ....

परीक्षा का नाम : ....

वर्ष : ....विषयः ....

पता : ....
....
....

शुल्क विवरण
(शुल्क जमा रसीद संलग्न करें)

एक उत्तरीय प्राप्त किया

... .

बुक संख्या : ....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

रसीद संख्या : ....

दिनांक : ....

दिनांक : ....

नोटः कृपया निर्देशों के लिए पृष्ठांकित निर्देश देंखे

(उत्तरीय प्राप्तकर्ताओं के लिए निर्देश)

1. किसी भी उपाधि प्राप्तकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान धारण किये बिना दीक्षान्त-समारोह के पाण्डाल में प्रवेश नहीं मिलेगा ।

2. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दीक्षान्त-समारोह के दिन उपाधि-पत्र दिये जायेंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय कार्यालय से उपाधि के लिए अनुज्ञा-पत्र पर इस बात की मोहर लगवा ली है कि उपाधि प्राप्तकर्ता ने दीक्षान्त-समारोह के लिए उत्तरीय प्राप्त कर लिया है ।

3. एक उत्तरीय का प्रयोग शुल्क रू0 50/- (रू0 पचास) होगा ।

4. किसी भी उपाधि प्राप्तकर्ता को उत्तरीय तभी दी जायेगी जबकि वह रू0 200/- निर्धारित शुल्क (प्रतिभूति राशि) जमा कर इस प्रपत्र को हस्ताक्षर करके विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा कर देगा । उपाधि प्राप्तकर्ता द्वारा उत्तरीय वापस करने पर रूपया पचास प्रयोग शुल्क काटकर शेष धन लौटा दिया जाएगा ।

5. दीक्षान्त-समारोह होने के पश्चात प्रत्येक उपाधि प्राप्तकर्ता उत्तरीय सुरक्षित रूप में विश्वविद्यालय कार्यालय को वापस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा । दीक्षान्त समारोह के पश्चात उसी दिन उत्तरीय वापस नहीं लिया जायेगा ।

6. उपाधि प्राप्तकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह दीक्षान्त-समारोह की समाप्ति के पश्चात निर्धारित अवधि (दो सप्ताह) में उत्तरीय वापस कर दें । यदि वह निर्धारित समय के अन्दर उत्तरीय वापस नहीं कर पाता तो उत्तरीय खोया हुआ समझा जायेगा उसके खो जाने पर उपाधि प्राप्तकर्ता द्वारा जमा रू0 200/- (दो सौ) क्षतिपूर्ति स्वरूप जब्त कर लिए जायेंगे । किसी विवाद की स्थिति में कानपुर न्यायालय अधिकार क्षेत्र होगा ।

7. दीक्षान्त-समारोह की समाप्ति पर सभी उपाधि प्राप्तकर्ता उस समय तक अपने स्थान पर खड़े रहेंगे जब तक कि शोभा-यात्रा पाण्डाल से बाहर न हो जाये ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
दीक्षान्त-समारोह
(उपाधि-पत्र के लिए अनुज्ञा-पत्र)

उपाधि प्राप्तकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय उपाधि-पत्र वितरक को, दीक्षान्त समारोह के दिन पूर्णतः भरकर दिया जाये और बिना अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किये तथा पृष्ठांकित निर्देशों की पूर्ति के अभाव में उपाधि वितरक उपाधि पत्र कृपया न दें ।

इस प्रपत्र में विश्वविद्यालय कार्यालय से उत्तरीय प्राप्ति की मोहर लगवाना अनिवार्य है जिससे कि दीक्षान्त-समारोह के लिए उत्तरीय प्राप्त की प्रामाणिकता सिद्ध हो ।

कृपया मुझे निम्नांकित उपाधि-पत्र प्रदान करें ।

परीक्षा का नाम : .... वर्ष ....
उपाधि प्राप्तकर्ता का नाम : ....
अनुक्रमांक : .... विषय.................
नामांकन सं0 : ....
पता : ....
.... उपाधि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
....

....

उपाधि प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर प्रमाणित किया
....
प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर मोहर सहित
....

उपर्युक्त उपाधि-पत्र प्राप्त किया

दिनांक : .... उपाधि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नोटः- (1) कृपया निर्देशों के लिए पृष्ठांकित निर्देश देखें ।
(2) नामांकन संख्या अवश्य अंकित करें ।